


20.02.2026:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई प्रार्थी वादी वकील
उपरिथत। प्रार्थी वकील द्वारा वादपत्र मे वकील
कार्यवाही नही चाहते हुए। अपना वादपत्र मे कोई
खारिज करवा लिया गया है। वादपत्र खारिज NO PREES
प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही रह जाती होने से
वकील श्री मनोज अरोडा द्वारा फर्द अहकाम पर प्रार्थी
PREES अंकन किया। प्रार्थी वकील के NO PREES
करने पर प्रार्थी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत
दाखिल दफतर हो।


सचिव कलकत्ता
एवं अपेक्षा अधिकारी
सुभाष